1	2	3
9	उ०प्र० अनुसूचित विमुक्ति एवं जनजाति सेवक संघ, 85/बी, दाखलश, उत्तर प्रदेश।	शिशुगृह
10	उत्तर प्रदेश बाल शिक्षा न्यास एवं प्रबन्धन सोसाइटी, बाल निकेतन, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	शिशुगृह
11	जिज्ञासु ट्राइबल रिसर्च सैंटर, फलैट नं० 97 ए, फेज-।।, मयूर विहार, नई दिल्ली-91	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा
12	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली (उ० प्र० के लिए)	शिशुगृह, बालवाड़ी, पोषाहार कार्यक्रम, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा
13	भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली (उ० प्र० के लिए)	शिशुगृह, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बाल श्रम परियोजना
14	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	शिशुगृह और बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
15	हरिजन सेवक संघ	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
16	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
17	सागर क्षेत्र विकास समिति, सेवापुरी, मिर्जापुर	बाल श्रम परियोजना
18	ग्रामीण शिक्षा और विकास कार्रवाई हेतु, केन्द्र, मिर्जापुर	बाल श्रम परियोजना
19	श्रीमद दयानन्द बाल सदन, भतिनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	देखभाल और संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों का कल्याण
20	ग्रामोद्योग विकास आश्रम संस्थान, मौदाहा, जिला-हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	——तदैव——
21	डा० अरूण कुमार समाज कल्याण सोसाइटी, गिरीश नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश	——तदैव——
22	केन्द्रीय एकता विकास समिति, लखनऊ	कार्य निष्पादन से संबद्ध नमूना परियोजना की योजना
23	जय गायत्री मां बाल विद्या मंदिर समिति, ओराई, जालौन	——तदैव——
24	साक्षरता विकास संस्थान, लखनऊ।	——तदैव——
25	इंयिन कांउसिल आफ चाइल्ड, एंड घोमेन रिलीफ, लखनऊ।	——तदैव——
26.	अखिल भारतीय दलित विकास अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।	——तदैव——

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कूल

276. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:**
श्री वीरेन् जे शाह:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि शिक्षा नीति के अधीन यह निर्णय लिया गया था कि गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु देश में लगभग 400 स्कूल खोले जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के शैक्षिक वर्ष के अंत तक ऐसे कितने स्कूल खोले गये और किन-किन स्थानों पर; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य के कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई शिक्षा नीति के कार्रवाई कार्यक्रम में जिला मुख्यालयों में 400 अतिरिक्त विशेष स्कूलों के प्रावधान की परिकल्पना की गई थी। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण किसी नये विशेष स्कूल की स्थापना नहीं की गई है। कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसे 240 जिलों की पहचान की गई है जहां कोई भी विशेष शिक्षा सुविधा नहीं है। इन जिलों में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विशेष